SHRI MANSUKH MANDAVIYA: I agree, but we have taken the initiative. महंगी दवाएं सस्ती मिलें, इसलिए schedule 1 में न होते हुए भी 42 मेडिसिंस का trade margin हमने fix किया है। इस ट्रेड मार्जिन से उसका 90 परसेंट रेट आज मार्केट में कम हो गया है। ऐसे 526 फॉर्मुलेशंस हैं, ब्रांडेड मेडिसिंस हैं, जो आज मार्केट में 90 परसेंट कम रेट पर उपलब्ध होने लगी हैं। यह इनिशिएटिव हमने लिया है।

डा. विकास महात्मे: महोदय, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि 1032 एसेंशियल मेडिसिंस की कीमत तय की है, लेकिन कीमत तय करने के बावजूद भी यह देखा गया है कि कभी-कभी वे दवाएं उस कीमत पर नहीं मिलती हैं, काफी ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हो रही है और क्या प्रतिक्रियाएं हैं?

श्री मनसुख मांडविया: जो एसेंशियल मेडिसिंस होती हैं, हमने उनके प्राइस कैप किए हुए हैं और हमने ऐसी 1032 मेडिसिंस के प्राइस कैप किए हुए हैं। कभी-कभी उनका प्राइस कुछ ज्यादा ले लेते हैं। उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी को ज़िम्मेवारी दी है। वह समय-समय पर उसको देखती है। यदि कभी शिकायत आती है तो उसकी इन्क्वायरी भी करती है। उसके आधार पर एक्शन भी लिया जाता है। इस दृष्टि से हम उसको सुनिश्चित करते हैं।

Social security pension to farmers

*8. DR. K. V. P. RAMACHANDRA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government proposes to bring a new scheme for providing social security pension to farmers throughout the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the criteria for selection of beneficiaries and whether any specific funds have been earmarked for the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Yes, Sir. Government has approved a pension scheme for all Small and Marginal Farmers (SMF) in the country, subject to certain exclusion clauses, with a view to provide social security net as they have minimal or no savings to provide for old age and to support them in the event of consequent loss of livelihood. The scheme provides for

payment of a minimum fixed pension of ₹3,000/- per month to the eligible farmers on attaining the age of 60 years. It is a voluntary and contributory pension scheme, with entry age of 18 to 40 years The beneficiary can opt to become member of the Scheme by subscribing to a Pension Fund, managed by the Life Insurance Corporation (LIC). For example, the beneficiary is required to contribute ₹100/ - per month in the pension fund at median entry age of 29 years, with matching contribution of ₹ 100 by the Central Government.

The Scheme provides for utilization of services of Common Service Centres (CSCs e-Governance Services India Ltd.) or alternatively the State Nodal Officers of the State / UT Governments under PM-Kisan Scheme for enrollment of farmers. An amount of ₹ 10774.50 crore is expected for implementation of the scheme upto the Financial Year 2021-22.

DR. K.V.P RAMACHANDRA RAO: Sir, the Central Government has already introduced a National Pension Scheme under the name of Atal Pension Yojana. It is also a Voluntary Contribution Pension Scheme. As per Government records, several people, including farmers, joined this Scheme.

MR. CHAIRMAN: No, no. What is your question? You are reading the answer.

DR. K.V.P RAMACHANDRA RAO: Now, this Scheme appears to be a replica of the same and nothing is new. If the Government wants to really do something for the small and marginal farmers, then, it should come forward and pay the contribution, or, at least, a part of it, on behalf of the poor farme' The Scheme has no such provision, or, at least, a matching grant to that effect.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

DR. K.V.P RAMACHANDRA RAO: My question is, in these circumstances, how it will benefit the farmers who are already enrolled in ' APY' and which Scheme among these two is beneficial for the farmers.

श्री परशोत्तम रुपाला: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस चिंता के साथ सहमत हूं कि जो लोग ऑलरेडी अटल पेंशन से जुड़ गए हैं, उसमें से और इस योजना में कौन सी लाभदायक है?

मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा और सदन के सभी माननीय सदस्यों की जानतारी में यह रहे ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र में किसानों के साथ बात कर सकें। इसलिए इस योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो किसानों के लिए और स्मॉल एण्ड मार्जिन्ल फॉमर्स के लिए उपयोगी है, वह यह है कि जो किसानों को 6 हजार रुपये भारत सरकार की ओर से देने का तय हो गया है, दो किस्तें मिल भी

चुकी हैं, वह जो राशि मिल रही है, यदि किसान चाहेगा तो अपने हिस्से की राशि उसमें से भी कटवा सकता है। सिर्फ अपनी सहमति देकर पेंशन में अपना हिस्सा कटवा सकेगा तो बिना पैसे दिए भी इस राशि में से उनको मिल जाएगा और सभी किसानों के लिए वह राशि उपलब्ध है। सिर्फ किसान अपनी सहमति से इस राशि का इसमें उपभोग करवा के पेंशन का हकदार बन सकता है।

DR. K.V.P RAMACHANDRA RAO: Sir, it covers farmers aged between 18 and 40 years, and the farmers above this age are not getting benefit from this. My second supplementary is, a pension of ₹ 3,000/- after sixty years of age may mean nothing in these high inflation days. Is there any proposal with the Government to link this scheme with the rate of inflation?

MR. CHAIRMAN: Right Mantriji.

श्री परशोत्तम रुपाला: महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव है। यह योजना अभी नई है। इस योजना का अमल हो जाने के बाद, इसका इवैल्युएशन हो जाने के बाद किसी स्तर पर ऐसे अच्छे इश्यूज़ को हाथ में लिया जा सकता है, मगर अभी ऐसी कोई चर्चा विचार में नहीं है।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन

*9. **श्री राम विचार नेताम**: क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में सरकार को कितनी सफलता मिली है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में कितने किसानों का बीमा किया गया है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किस प्रकार की फसलों के लिए बीमा दावों की मांग की गयी है और इस संबंध में अब तक कितनी बीमा राशि संवितरित की गई है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परशोत्तम रुपाला): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) बुवाई-पूर्व से लेकर कटाई तक के सभी न रोके जा सकने वाले प्राकृतिक जोखिमों से फसलों को व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त दावा राशि और समय से दावों का निपटान करने के लिए एक सरल और सस्ती फसल बीमा योजना तैयार करने की दृष्टि से सरकार द्वारा एक उपज आधारित योजना अर्थात् प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित योजना अर्थात् पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) खरीफ 2016 से प्रारंभ की गई है।